संख्याः 20 /60–1–14–1/13(71)/06

प्रेषक,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 दिनांक : लखनऊ : 08 जनवरी, 2015

विषय– समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में रसोईया के प्रचलित मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में रसोईया के मानदेय में वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार के पत्र सं0–DOC –14–3/2012–13–CW-II दिनांक 03.03.2014 से वृद्धि की गयी है।

उक्त के कम में शासन द्वारा पत्र सं0–01/60–1–15–1/13(71)/06, दिनांक 05.01.2015 द्वारा समस्त घटकों में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में कार्यरत रसोईया का मानदेय रू0 2000/– से बढ़ाकर रू0 7500/– प्रतिमाह किए जाने पर सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उपरोक्त स्वीकृति निम्न प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है :–

1. रसोईया की सेवायें सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के माध्यम से ली जायेंगी।
2. अतिरिक्त व्ययभार वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में उपलब्ध प्राविधान के अंतर्गत वहन किया जाएगा।
3– उक्त व्यय के सापेक्ष भारत सरकार से यथास्थिति 75% अथवा 100% प्रतिपूर्ति मिलने में कोई बाधा नहीं होगी।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या– 49 के लेखाशीर्षक–2235 –सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–योजनायें – 14– किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन (के 75%/रा 25% के+रा) –16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान के नाम से डाला जाएगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

——2,

संख्या–20 (1)/60–1–14 व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– संबंधित उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)
उपसचिव।